MOMENTUM JHARKHAND

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

(सिंगल विण्डो सिस्टम)

पत्रांक 3003/2503 /राँची, दिनांक 06/11/2020

सि०वि०सि० / DBRAP-2020 / 26–2020

प्रेषक,

पूजा सिंघल,
सचिव, उद्योग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड, राँची।
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची।
सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची।

विषयः– DPIIT, Govt. of India द्वारा Ease of Doing Business के अधीन निर्धारित **State Business Reforms Action Plan (SBRAP)** के विभिन्न बिन्दुओं को झारखण्ड सरकार के सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः– **DPIIT, Govt. of India** का पत्रांक– **P-25015/7/2020-EODB-Part(1),** दिनांक 08.08.2020 एवं दिनांक 08.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि झारखण्ड राज्य के सृजन के उपरांत राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं औद्योगिक निवेश को आकर्षित / प्रोत्साहित करने हेतु कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इनमें DPIIT, Govt. of India द्वारा **Ease of Doing Business** अन्तर्गत निर्धारित Business Reforms Action Plan का सफल कियान्वयन सबसे प्रमुख कार्य है। उक्त के कम में वर्तमान में Ease of Doing Business अन्तर्गत **Advantage Jharkhand Portal** के तहत लगभग 206 सेवाएँ ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–2021 में भी DPIIT, Govt. of India द्वारा **Ease of Doing Business** अन्तर्गत निर्धारित State Business Reform Plan से संबंधित 301 बिन्दुओं के कियान्वयन की कार्रवाई झारखण्ड सरकार के सभी संबद्ध विभागों / निगमों / बोर्डों के द्वारा की जा रही है। उपर्युक्त के अलावे DPIIT, Govt. of India द्वारा निर्धारित District Business Reform Action Plan अन्तर्गत निर्धारित 45 बिन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन भी DPIIT, Govt. of India को उपलब्ध कराये जाने की कार्रवाई की जानी है।

District Business Reform Action Plan से संबंधित 45 बिन्दुओं एवं State Reform Plan से संबंधित 301 बिन्दुओं से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु संबद्ध विभागों / निगमों / बोर्डों को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही, झारखण्ड सरकार के सभी संबद्ध विभागों / निगमों / बोर्डों की विभागवार समीक्षा भी की गयी है। समीक्षा के कम में लिए गए निर्णय के आलोक में DPIIT, Govt. of India द्वारा **Ease of Doing Business** अन्तर्गत निर्धारित State Business Reform Plan से संबंधित 03 बिन्दुओं यथाः– 3, 4 एवं 5 के कियान्वयन की कार्रवाई झारखण्ड सरकार के सभी विभागों / निगमों / बोर्डों के द्वारा की जानी है। इन बिन्दुओं से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन निम्नवत है :–

MOMENTUM JHARKHAND
The Investment Destination

S. No.	Area	Sub - Area	Reform
3.	Investment Enablers	Access to Information and Transparency	**Reform 3**: Mandate that each proposed regulation or license (before it is enacted) ensure coverage of following criteria displayed on the website: i. Legal Basis - Does it have a basis in law/act/policy ii. Necessity - Does the license help government achieve its objectives iii. Business-friendly - Does it impose minimum burden on businesses to achieve the government's
4	Investment Enablers	Access to Information and Transparency	**Reform 4**: Mandate and make arrangements to publish draft business regulation online and invite public comments/ feedback on the same prior to enactment - The period of display should be at least 30 days
5.	Investment Enablers	Access to Information and Transparency	**Reform 5**: Mandate and make arrangements to publish the comments/feedback received on the draft business regulation and how they were addressed in the final regulation

उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित Objective निम्नवत है :-

Objective: Allowing stakeholders an opportunity to provide feedback on draft regulations before they are enacted, thereby enabling Government Authorities to understand the issues from the perspective of the industry and trade bodies. It is recommended to introduce a mechanism for providing transparency on the comments that have been received, as well as how they were addressed in the final draft of the regulation before they are enacted.

अतः DPIIT, Govt. of India द्वारा **Ease of Doing Business** अन्तर्गत निर्धारित State Business Reform Plan से संबंधित 03 बिन्दुओं यथा:-3, 4 एवं 5 के कियान्वयन की कार्रवाई झारखण्ड सरकार के सभी विभागों/निगमों/बोर्डों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त पर मुख्य सचिव, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(पूजा सिंघल)
सचिव, उद्योग

ज्ञापांक 4019/2503 /राँची, दिनांक 06/11/2020
सि०वि०सि० / **DBRAP-2020** / 28-2020
प्रतिलिपिः मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, उद्योग